

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

1. मनीष पुत्र परिक्षित जाति मेघवाल निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम


तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

डिक्री

दिनांक 26/11/20

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुत्तीर्ण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 2 टी. एल. डबल्यू के खाता सं० 126/72 में दर्ज वादी का नाम महेश पुत्र परिक्षित को दुरुस्त कर वादी का सही नाम मनीष पुत्र परिक्षित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं यदि वादी पर किसी भी प्रकार कोई आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।